

157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा:-

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप-खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान" के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान" प्रतिस्थापित की गई है।


पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरौही के पत्र क्रमांक:पंचायत/जांच/2019/418 दिनांक 13.8.2019 से प्रभारी अधिकारी (पंचायत), जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरौही को प्रेषित जांच रिपोर्ट तथा श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड़ व श्री शंकरलाल, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा प्रभारी अधिकारी (पंचायत), जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरौही के पत्र क्रमांक:पंचायत/जांच/2020/141-40 दिनांक 06.3.2020 के सन्दर्भ में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की छाया प्रति का अवलोकन किया गया। श्री शंकरलाल, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर व श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड़ के उक्त जांच प्रतिवेदन में प्रश्नगत पट्टे में अंकित क्षेत्रफल 1404 वर्गफीट एवं मौके पर भौतिक सत्यापन अनुसार निर्मित क्षेत्रफल 923 वर्गफीट व अनिर्मित क्षेत्रफल 972.75 वर्गफीट होना अंकित किया है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1)(ख) के अर्न्तगत दिनांक 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान बने हुए गृहों के पट्टे जारी किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक:एफ.139(0)परावि/विधि/नियम/मार्गदर्शन/2012/23 दिनांक 10.1.2013 में स्पष्ट किया गया है कि पुराने गृहों की परिधि में परिसर में स्थित उपयोग में आने वाली भूमि भी सम्मिलित होती है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1)(ख) के अर्न्तगत 2700 वर्गफीट तक पुराने गृह एवं पुराने गृह की परिधि में परिसर में स्थित उपयोग में आने वाली भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है एवं 2700 वर्गफीट से अधिक कब्जे वाली भूमि पर उक्त नियम 157(1)(ii) में वर्णित अनुसार बाजार दर से राशि वसूल करने का प्रावधान है।

चूंकि ग्राम पंचायत, दत्ताणी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को क्षेत्रफल 1404 वर्गफीट भूमि का ही पट्टा जारी किया है। प्रकरण में जांच अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन अनुसार

....पेज तीन पर




अति. जिला कलेक्टर
सिरौही (राज.)

कुल निर्मित क्षेत्रफल 923 वर्गफीट अंकित किया है तथा क्षेत्रफल 972.75 वर्गफीट अनिर्मित क्षेत्रफल के रूप में दर्शाते हुये उक्त पट्टे को अविधिक होना अंकित किया है। जबकि पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि पुराने गृहों की परिधि में परिसर में स्थित व आवासीय उपयोग में आने वाली भूमि भी वास्तविक उपयोग, उपभोग व कब्जे में शामिल मानी जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय परिसर में ही पशु बाड़ा, पशु चारागृह, पेयजल संग्रहण स्थल आदि के रूप में भूमि उपयोग में ली जाती है जिस पर जरूरी नहीं हो कि भौतिक रूप से पक्की दिवार आदि सरचनाओं का निर्माण हो। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में मनुष्य एवं पशुओं के लिये कच्चे घर एवं बाड़ें आदि निर्मित किये जाते हैं जिनकी आयु सीमित होती है तथा इस प्रकार, आवासीय सरचनाओं का स्वरूप समय समय पर परिवर्तनशील भी रहता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जांच दल द्वारा बिना विधिक प्रावधानों का अध्ययन एवं अवलोकन किये एवं स्वयं के विवेक एवं मस्तिष्क का समुचित उपयोग किये बिना तथा आवश्यक साक्ष्य एवं दस्तावेजात आदि का अवलम्ब लिये बिना केवल फौरी तौर पर कथित जांच करते हुए मनमानी रूप से ग्राम पंचायत, दत्ताणी द्वारा जारी पट्टों के सम्बन्ध में अविधिक होने का निष्कर्ष अंकित कर दिया गया, जो कि अनुचित है। अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन, विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया के अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से हमारा यह निष्कर्ष है कि ग्राम पंचायत, दत्ताणी द्वारा जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 24 मई 2017 को अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी करने के संबंध में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रक्रियागत त्रुटि कारित नहीं की है। अतः विनम्र अभिमत में प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर का निगरानी आवेदन सारहीन एवं बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना उचित एवं विधि सम्मत होगा।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन व साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01 जनवरी, 2024 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही